प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.10.2020

थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम

- थाना लोहारा एवं रेंगाखार पुलिस की अवैध शराब तस्करो पर संयुक्त बड़ी कार्यवाही
- लग्जरी जाईलो वाहन मे परिवहन करते मध्य प्रदेश निर्मित 40 पेटी गोवा शराब जप्त
- जप्त शराब कुल 360 बल्क लीटर शराब कीमती 21,0000 एवं एक जाईलो वाहन कीमती 08 लाख रूपये कुल दस लाख दस हजार रूपये का मशरूका जप्त ।
- शराब तस्करो के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही

श्री विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग द्वारा अवैध शराब, गांजा तस्करो एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु श्री अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा जिला इकाई कबीरधाम के समस्त थाना/चैकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 09.10.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक चार पहिया वाहन में अवैध रूप से धन अर्जित किये जाने हेतु कुछ व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित शराब को लेकर रेंगाखार जंगल से होते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में तस्करी करने के उद्देश्य से परिवहन कर रहे है। उक्त सूचना के संबंध में श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्री पनिक राम कुजुर उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स , श्री बीनूराम मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) के निर्देशन में निरीक्षक राकेश लकड़ा थाना प्रभारी रेंगाखार एवं निरीक्षक अनिल शर्मा थाना सहसपुर लोहारा के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार किया गया। विशेष टीम द्वारा मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सहसपुर लोहारा-रेंगाखार मार्ग पर नाकाबंदी पांईट लगाकर वाहनों की चेंकिग की जा रही थी, कि इसी दौरान एक गोल्डन रंग की जाईलो वाहन तेज गति से आकर नाकाबंदी पांईट से कुछ दूरी पर संदिग्ध रूप से खड़ी हो गई तथा नाकाबंदी पांईट में लगे बल को अपने ओर आता देखकर वाहन में सवार व्यक्ति वाहन को चालू हालत में छोड़कर अंधेरे एवं घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गये तथा वाहन क्रमांक CG 09 5281 गोल्डन रंग का जाईलो को मौके पर गवाहो के समक्ष चेक करने पर गाडी के बीच वाली सीट एंव पीछे सीट मे काले रंग के कम्बल से ढककर मध्यप्रदेश

निर्मित अंग्रेजी गोवा शराब 40 पेटिया मिली कुल 2000 नग, बल्क 360 लीटर कीमती 210000 रूपये एंव अवैध शराब परिवहन मे प्रयुक्त वाहन क्रमांक CG 09 5281 गोल्डन रंग का जाईलो वाहन कीमती 800000 रूपये को मौके पर विधिवत जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है प्रकरण मे थाना स0 लोहारा मे अज्ञात आरोपियो के विरूध्द अपराध क्रमांक 193/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले के अज्ञात आरोपियों की पता तलाश जारी है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्ग निर्देशन एवं श्री पनिक राम कुजुर उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स , श्री बीनूराम मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) के दिशा-निर्देश में निरीक्षक राकेश लकड़ा, निरीक्षक अनिल शर्मा, उप निरीक्षक डोमार साहू, सहायक उप निरीक्षक गिरजाशंकर यादव, प्रधान आरक्षक खुबीराम साहू, आरक्षक रवि जायसवाल, पेखेन्द्र जांगडे, रूपेश राजपूत, रवि टोण्डर के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया